खण्ड विकास कार्यालयों में टेलीफोन

2910. **श्री सरजू पाण्डेय** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तीसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि में अब तक उत्तर प्रदेश में जिलावार कितने खण्ड विकास कार्यालयों में टेलीफोन लगाये जा चुके हैं; और

(ख) जिलावार कितने खण्ड विकास कार्यालयों ने टेलीफोन की मांग की है ?

संचार विभाग में उपमंत्री (श्री भगवती) : (क) और (ख). सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है । [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिए संख्या एल. टी. 4326/65**।]

डाकघरों का स्तर ऊंचा करना

2911 { **श्री लक्ष्मू भवानी** / **श्री वाडीवा** } :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1965-66 में मध्य प्रदेश के बस्तर जिले के कुछ उप डाकघरों को मुख्य डाकघर तथा शाखा डाकघरों को उप डाकघर बनाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

संचार विभाग में उपमंत्री (श्री भगवती) : (क) जी, हां ।

(ख) I 1965–66 के दौरान में मध्य प्रदेश के बस्तर जिले में जगदलपुर उप डाकघर को पदोन्नत कर के प्रधान डाकघर बनाने का प्रस्ताव विचाराधीन है ।

II 1965–66 के दौरान बस्तर जिले में निम्नलिखित शाखा डाकघरों को पदोन्नत कर के उप डाकघर बनाने के प्रस्तावों की जांच की जा रही है —

1. भोपाल पटनम अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर
2. बीजापुर वही
3. नाकुलनार वही
4. बस्तर वही
5. सुकमा वही
6. अन्तागढ़ वही
7. गीदम वही

उपर्युक्त डाकघरों को पदोन्नत करने के प्रस्तावों की अभी डाक-तार महाध्यक्ष, नागपुर द्वारा जांच की जा रही है; अतः यह ठीक-ठीक नहीं कहा जा सकता कि कौन-कौन से डाकघर वस्तुतः पदोन्नत किये जायेंगे और कब किये जायेंगे ।

Job Opportunities around Industrial Projects

2912. Shri H. C. Soy: Will the Minister of **Labour and Employment** be pleased to state:

(a) whether any study or assessment has been made of the job and employment opportunities having developed or created around big industrial projects like the Bhilai, Rourkela, Durgapur and Heavy Engineering Corporation complex, Ranchi and Kirburu Iron Ore Project apart from the jobs inside the projects;

(b) if so, the percentage of these employment opportunities which could be availed of by the persons directly displaced by the land acquisition proceedings for these projects;

(c) whether the project authorities have any plan to help these persons in their employment and rehabilitation; and

(d) if so, the broad details thereof?

The Minister of Labour and Employment (Shri D. Sanjivayya): (a) No.

(b) Does not arise.

(c) and (d). The facilities given by Project Authorities are briefly mentioned in the statement laid on the Table of the House. [*Placed in Library. See* No. LT-4327/65].

भारतीय विधवेत्ता आयोग

2913. **श्री सिद्धेश्वर प्रसाद** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री 5 अप्रैल, 1965 के तारांकित प्रश्न संख्या 734 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि 1964 में पूर्वी पाकिस्तान से भारत में गैर-मुसलमानों के भारी संख्या में आगमन की जांच करने के लिये भारतीय विधिवेत्ता आयोग द्वारा नियुक्त की गई जांच समिति के प्रतिवेदन की मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : भारतीय विधिवेत्ता आयोग (इंडियन कमीशन आफ जूरिसट्स) की रिपोर्ट की कुछ खास बातें ये हैं :—

1964 में पूर्व पाकिस्तान से भारी संख्या में लोगों के भारत आने का सीधा कारण यह था कि पाकिस्तान की सरकार ने, वहां के अखबारों ने, रेडियो और मंत्रिमंडल के मुख्य सदस्यों ने, धार्मिक और सामान्य नेताओं ने हजरतबल घटना को ले कर भारत और हिंदुओं के खिलाफ लोगों को भड़काने के लिए प्रोपैगंडा किया ।

जब अधिकांश क्षेत्रों में अत्याचार हो रहे थे तब पुलिस, अनुसार (मिलीशिया) और सेना चुपचाप दूर से यह सब कुछ देख रही थी; और कुछ जगह तो इन अत्याचारों में पुलिस और अनसारों ने सक्रिय भाग लिया ।

बहुत से क्षेत्रों में गैर-मुसलमानों के प्रति सामाजिक भेदभाव किया गया और उन का आर्थिक बाइकाट कर दिया गया जिस की वजह से उनके लिये पाकिस्तान में रहना असम्भव हो गया ।

1964 में कुल मिला कर करीब 8,70,000 शरणार्थी भारत आए किन्तु इन में से 48,000 ईसाई थे, और 21,000 बौद्ध । इन्हें मिला कर 1964 से 1965 तक पूर्व पाकिस्तान क्षेत्र से जाने वाले शरणार्थियों की संख्या करीब 55 लाख तक पहुंच गई है जिसकी वजह से पूर्व पाकिस्तान में गैर-मुसलमानों की संख्या 1 करोड़ 30 लाख से घट कर करीब 85 लाख रह गई है ।

१९४८ की सार्वभौम मानवाधिकार घोषणा (यूनिवर्सल डिक्लेरेशन आफ ह्यूमन राइट्स) के १३ अनुच्छेदों का गम्भीर और सिलसिलेवार उल्लंघन किया गया है ।

जहां तक हिन्दुओं का प्रश्न है, जातिनाश अभिसमय (जीनोसाइड कन्वेंशन) के अनुच्छेद 2 में वर्णित जातिनाश का अपराध निश्चित रूप से सिद्ध किया जा चुका है ।

जनवरी, 1964 में पश्चिम बंगाल में जो साम्प्रदायिक घटनयें हुई थीं, वे पूर्व पाकिस्तान से लोगों के भारी संख्या में पश्चिम बंगाल आने वाले और उन के द्वारा अपनी विपत्ति की कहानी सुनाए जाने के फलस्वरूप हुई थी ।

पश्चिम बंगाल सरकार ने फौरन और सख्ती के साथ कदम उठाए जिस के कारण कुछ ही दिनों में स्थिति काबू में आ गई ।

जहां तक भारत की घटनाओं का संबंध है, इन में कभी मानवाधिकारों का उल्लंघन नहीं किया गया है और जातिनाश करने का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता ।

हिन्दी में तार

2914. **श्री रणंजय सिंह** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में राज्यवार ऐसे कितने तारघर हैं जिन में हिन्दी में तार भेजने की व्यवस्था है;